उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 24.02.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक 24.02.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर जनसुनवाई की गयी इस दौरान फरियादियों से उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए ।

इस अवसर पर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुयी सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े ।

जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल / थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक महोबा की निर्देशन में बाल किशोर पुलिस इकाई की हुई गोष्ठी, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-

आज दिनांक 24.02.2024 को जनपद महोबा के रिज़र्व पुलिस लाइन में स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे (नोडल अधिकारी), की अध्यक्षता में **SJPU & AHTU** की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक संपन्न की गई। जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी **SOP,** अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम, नशामुक्त आभियान, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंग समानता, नारी शक्ति, बच्चा चोरी के अफवाहो पर जारी डीजी परिपत्र, किशोर न्याय अधिनियम **2015** मे हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल संरक्षण, वर्तमान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोबा,शिक्षा विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम पर्वतन अधिकारी, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जनपद महोबा, जी**0**आर**0**पी**0** ,जिला अभियोजन कार्यालय ,महिला थाना / एस**0** जे**0** पी**0**यू**0** प्रभारी.निर्देशक चाइल्ड लाइन महोबा के साथ-साथ सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.02.2024 को श्री सत्यम अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री दुर्गविजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 02 नफर अभियुक्त क्रमशः 1. अजय कुमार अहिरवार पुत्र स्व0 बाबूलाल अहिरवार उम्र करीब 23 वर्ष 2.रविन्द्र अहिरवार पुत्र राजाराम अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करते हुये साई कालेज मोड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 96/2024 व मु0अ0सं0 97/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी,आपराधिक विवरण-

1. अजय कुमार अहिरवार पुत्र स्व0 बाबूलाल अहिरवार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी डढ़तमाफ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज, सम्बन्धित मु0अ0सं0- 96/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 2.अभियुक्त रविन्द्र अहिरवार पुत्र राजाराम अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी डढतमाफ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज, सम्बन्धित मु0अ0सं0 97/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 कुबेर सिंह

थाना कबरई की पुलिस टीम ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.02.2024 को श्री सत्यम अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राम किशन यादव द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 41/24 धारा 498ए/304बी भादवि ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.कामता पुत्र बाबू रैकवार उम्र 24 वर्ष 2. लक्ष्मी पत्नी बाबू रैकवार उम्र 46 वर्ष निवासीगण मु0 अम्बेडकर नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को मु0 अम्बेडकर नगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राम किशन यादव 2.कां0 अंकुश पाल 3. म0कां0 निशी अग्निहोत्री

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.कामता पुत्र बाबू रैकवार उम्र 24 वर्ष व 2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी बाबू रैकवार उम्र 46 वर्ष नि0गण मु0 अम्बेडकर नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 24.02.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी अग्निशमन द्वारा शादी समारोह, धार्मिक/ सांस्कृतिक कार्यक्रमों वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण कर आयोजकों को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।

उ0प्र0 महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपात सेवा महोदय द्वारा दिये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में दिनांक 23.02.2024 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी जनपद महोबा द्वारा मय फायर टीम के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न जगहों पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम जैसे शादी समारोह, धार्मिक/ सांस्कृतिक कार्यक्रमों वाले स्थानों पर बनाये गये अस्थाई पंडाल, टेन्ट एवं अन्य अस्थाई परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं बचाव के मानकों को दृष्टिगत रखते हुये निरीक्षण किया गया तथा वहां उपस्थित स्थानीय लोगों व आयोजकों को अग्नि सुरक्षा के संबंध, विद्युत ऑडिट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया।